के लिए आधुनिक और टिकाऊ शहरी

... नई संभावनाएं खुलेंगी। गुरुग्राम के लोगों के लिए यह सुविधा जीवन सरल बनाने वाली है।

कार्यालय नगरपालिका, बावल

सार्वजनिक सूचना

लाल डोरा / आबादी देह शहरी क्षेत्र बावल में सम्पति प्रमाण पत्र बारे।

इस नोटिस / इश्तिहार के माध्यम से सभी आम व खास को सूचित किया जाता है कि संपत्तिकर सर्वे के दौरान दर्ज प्रविष्टियों व शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पत्र क्रमांक DULB/DMC-HQ-2024/142 दिनांक 12.03.2024 व पत्र क्रमांक DULB/CTP-II/2024/134 दिनांक 11.07.2024 द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार नगरपालिका बावल द्वारा लाल डोरे/आबादी देह मे स्थित सम्पतियों का सम्पति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है जिससे सम्बधिंत प्रारंभिक सूची का प्रकाशन पहले ही किया जा चुका है। जिसकी एक सूची नगरपालिका कार्यालय की गृहकर / सम्पत्तिकर शाखा में व एक सूची नगरपालिका कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है। किन्तु अब निदेशालय की हिदायतोनुसार लाल डोरे में स्थित संम्पतियों के सम्पति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व अंतिम सूची प्रकाशित की जा रही है, जिसे कोई भी आमजन नगरपालिका कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर उपस्थित होकर सूची का अवलोकन कर सकता है, साथ ही यह सूची नगरपालिका कार्यालय की वैबसाइट https://ulbharyana.gov.in/Bawal/839#! पर भी उपलब्ध है। जिस किसी आमजन को प्रकाशित सूची पर किसी प्रकार का एतराज या आपति है तो वह अपने दस्तावेजों सहित प्रकाशन तिथि के 30 दिन के अन्दर-अन्दर अपना एतराज/आपत्ति लिखित में दस्तावेजों सहित नगरपालिका कार्यालय की गृहकर/ सम्पतिकर शाखा में सुनवाई हेतु जमा करवा सकता है। नोटिस की समयावधि समाप्त होने उपरान्त किसी भी एतराज/आपत्ति पर कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि किसी सम्पत्ति पर कोई दावा आपत्ति ना आने की एवज में जारी की गई सम्पत्ति प्रमाण पत्र के संदर्भ में नगरपालिका कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

सम्पत्ति के स्वामित्व को सिद्ध करने हेतू शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकुला द्वारा जारी पत्र कमांक DULB/DMC-HQ-2024/142 दिनांक 12.03.2024 में दिये गए निर्देशानुसार आपको निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-

- राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित दावेदार का शपथ पत्र, जिसमें आबादीदेह / लाल डोरा में स्वामित्व / कब्जा का स्पष्ट उल्लेख हो :-

1. पिछले 10 वर्षों का बिजली बिल।
2. पिछले 10 वर्षों का पानी बिल।
3. सरकार द्वारा जारी किया गया दस्तावेज जैसे ईपआईसी ड्राइविंग लाईसैस, पासपोर्ट, जीएसटी, पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि जिसमें पता शामिल हो।

- अधिकार के पिछले वर्षों का पता लगाने के आवश्यक दस्तावेज।

1. पिछले 10 वर्षों के अधिकार का पता लगाने के संम्पतिकर रसीदें।
2. पिछले 10 वर्षों के अधिकार का पता लगाने के लिए निर्मित संरचना का प्रमाण पत्र।

- दावाकर्ता द्वारा प्रदान किये जाने वाले दस्तावेजो की वांछनीय सूची निम्नलिखित है :-

1. बिक्री विलेख / हस्तांतरण विलेख
2. हस्तांतरण विलेख / त्याग विलेख / मुक्ति विलेख/जमाबन्दी/फरद।
3. राजस्व अधिकारी के साथ पंजीकृत अदालत का आदेश।
4. रजिस्ट्री/बिक्री विलेख।

नोट :- मूल मालिका की मृत्यु के मामले में उपयुक्त उल्लेखित दस्तावेजों के साथ-साथ सक्षम राजस्व प्राधिकरण / सिविल अदालत से जारी कानूनी/सिविल अदालत से जारी कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जरूरी है।

कार्यालय नगरपालिका बावल जिला रेवाड़ी।